S-VI
Commu. Psy
DSE-IV

भारत मे सामुदायिक मानसिक कार्यक्रम

COMMUNITY MENTAL HEALTH PROGRAM IN INDIA

classmate
Date
Page

पीछले दो दशकों के दौरान भारत मे कई महामारी विज्ञान अध्ययन किये गए जो बताते है कि प्रमुख मनोरोग विकार की व्यापकता दुनियाभर मे लगभग एक ही है। इन अध्ययनों से बताया गया प्रचलन 18 से 20 प्रति 1000 की आबादी के साथ औसतन 65.4 प्रति 1000 है लगभग 2-3% भारती आबादी गंभीर रूप से पिडीत मानसिक विकारों या मिर्गी से पिडीत है। इनमेसे अधिकांश रोगी किसी आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओ से दूर ग्रामीण क्षेत्रों मे रहते है। सामान्य ओपीडी मे आनेवाले व्यस्क रोगियों का मानसिक रूप से बिमार होने का पता चलता है हालाकि ये मरीज आमतौर पर छूट जाते है क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल इकाई मे या तो चिकित्सा अधिकारी या सामान्य चिकित्सक विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य इतिहास नही पूछते है।

भारत सरकार ने समुदायों मे मानसिक बिमारी के भारी बोझ को देखते हुए और इससे निपटने के लिए देश मे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की पूर्ण अपर्याप्तता को ध्यान मे रखते हुए 1982 मे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) शुरू किया जिसके तीन घटक है —

1. मानसिक रूप से बिमार का इलाज
2. पुनर्वास
3. सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और संवर्धन

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP के उद्देश्य भी निर्धारित किये गए

1. मानसिक और न्यूरोलॉजिकल विकारों की रोकथाम और उपचार और उससे संबंधित विकलांगता
2. सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं मे सुधार के लिए मानसिक स्वास्थ्य ~~प्रौद्योगिकी~~ प्रौद्योगिकी का उपयोग
3. जीवन की गुणवत्ता मे सुधार के लिए कुल राष्ट्रीय विकास मे मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांतो का अनुप्रयोग

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP की कुछ रणनीतियां भी तैयार की गयी

1. NMHP के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकरण मानसिक स्वास्थ्य
2. मानसिक विकारों के उपचार के लिए तृतीयक देखभाल संस्थानों का प्रावधान
3. मानसिक रूप से बिमार रोगियों के कलंक को दूर करना और केन्द्रिय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण जैसे नियामक संस्थानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करना।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP के कुछ उद्देश्य भी है-

1. भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना विशेष रूप से जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्ग के लिए
2. सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य के आवेदन को प्रोत्साहित करना
3. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और समाज में स्व सहायता की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना

इसी समय कुछ मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा भी तय किये गए-

1. मानसिक रुग्णता को मानसिक स्वास्थ्य उपचार में प्राथमिकता की आवश्यकता होती है
2. गांव और उपकेन्द्र स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर
4. जिला अस्पताल स्तर पर
5. मानसिक अस्पताल और मनोरोग इकाई को पढ़ाने

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. राज्य में चिन्हीत नोडल संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य टीम में सभी सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रम

2 मानसिक स्वास्थ्य के जागरूकता बढ़ाने और कलंक कम करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा।

3 शुरुआती पहचान और उपचार के लिए ओपीडी और इनडोर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

4. भविष्य के नियोजन सेवा और अनुसंधान के सुधार के लिए राज्य और केन्द्र के लिए प्रमुख के रूप के पर मूल्यवान डेटा और अनुभव प्राप्त होना।

कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का समर्थन करने के लिए WHO और विश्व बैंक जैसी एजेन्सीयों से भी संपर्क किया गया है।

2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान ले लिया 2017 में लागू किये गए इस अधिनियम का उद्देश्य मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना है साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों के साथ जीवन जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है इस अधिनियम के अनुसार गरीबों का मुफ्त इलाज, सभी मानसिक बिमार को गरीमा के साथ जीने का अधिकार और किसी आधार पर कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा इन्हें अपनी स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार होगा और न ही बगैर इनकी अनुमति के इनकी तस्वीर भी साझा नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार के साथ-साथ मानसिक अस्पताल अस्पतालों के स्थितियों पर भी नजर रखता है और राज्य वर्तमान के मानसिक देखभाल के वितरण के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित संयुक्त अध्ययन की सिफारिश पर अध्ययन कर रहे हैं।

06/05/2020